नपा करेगी वार्ड कमेटियों का गठन
इच्छुक लोगों से 17 तक मांगे आवेदन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| धारूहेड़ा

हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत नगर पालिका धारूहेड़ा के प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। शहर के 18 वार्डों में कमेटी का गठन होगा। नपा सचिव सुमित कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत नगर पालिका की ओर से प्रत्येक वार्ड से वार्ड कमेटी में 3 से 7 आमजन को बतौर सदस्य शामिल किया जाना है। उन्होंने प्रत्येक वार्ड के नागरिकों से

सुमित कुमार।

■ 18 वार्डों में होगा कमेटी का गठन, हर वार्ड से 3 से 7 लोग होंगे शामिल

अनुरोध किया है कि जो भी अपने वार्ड में हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत वार्ड कमेटी का सदस्य बनना चाहता है, वह 17 जुलाई को शाम 5 बजे तक नगर पालिका कार्यालय के कमरा नंबर-7 में अपना आवेदन दे सकता है। हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत नियम व शर्तें नगर परिषद कार्यालय से ली जा सकती है। सचिव सुमित ने बताया कि वार्ड कमेटियों के गठन करने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागेदारी बढ़ाना, वार्ड की समस्याओं के समाधान की दिशा में सहयोग देना तथा विकास कार्यो की निगरानी के लिए सहभागिता सुनिश्चित करना है।

अमर उजाला
Rewari
10-07-2026

धारूहेड़ा के 18 वार्डों में गठित की जाएंगी समितियां

नगर पालिका धारुहेड़ा ने शुरु की प्रक्रिया, 17 तक कर सकेंगे आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

धारूहेड़ा। शहर के विकास कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिका धारूहेड़ा ने सभी 18 वार्डों में समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन समितियों में प्रत्येक वार्ड से 3 से 7 नागरिकों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए इच्छुक नागरिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

नगर पालिका सचिव सुमित ने बताया कि वार्ड समितियों का गठन स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी और जनसहभागिता आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इन समितियों के माध्यम से वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी और सुझाव देने में भी नागरिकों की अहम भूमिका रहेगी।

इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में समाजसेवा की भावना रखने वाले, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों को समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

समिति में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति 17 जुलाई को शाम 5 बजे तक नगर पालिका कार्यालय, धारूहेड़ा के कक्ष संख्या 7 में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

वार्ड समिति के गठन से संबंधित सभी नियम, शर्तें, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन करने वाले नागरिकों को निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा। समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नगरपालिका धारुहेड़ा। संवाद

नागरिकों और प्रशासन के बीच होगा समन्वय : वार्ड समितियां स्थानीय स्तर पर नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का माध्यम बनेंगी। समितियों के सदस्य वार्ड की समस्याओं, आवश्यकताओं को प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहयोग करेंगे।

वार्ड समितियों से होगा ये फायदा

समिति के सदस्य अपने वार्ड की समस्याओं जैसे सड़क, सफाई, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट और जलभराव जैसे मुद्दों को सीधे नगर पालिका के समक्ष रख सकेंगे। इससे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत जल्दी हो सकेगा। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जनसुझावों को प्राथमिकता मिलेगी और वार्ड स्तर पर विकास कार्य लोगों की जरूरतों के अनुरूप किए जा सकेंगे। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।